रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT OF INDIA

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 339] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 29, 1977/कार्तिक 7, 1899

No. 339] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 29, 1977/KARTIKA 7, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF PETROLEUM

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October 1977

G.S R.659(E).—In exercise of the powers conferred by Section 31 of the Oil & Natural Gas Commission Act, 1959 (43 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Oil & Natural Gas Commission Rules, 1960,namely:—

1 These rules may be called the Oil and Natural Gas Commission (Amendment) Rules, 1977

2 In the Oil & Natural Gas Commission Rules, 1960 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 5, for the words "at least one month", the words "three months" shall be substituted

3 In the said rules, after rule 21, the following rule shall be inserted, namely —

"21-A Powers of the Commission for implementation of any scheme or proposal involving capital expenditure or in respect of disposal of any property as envisaged under the proviso to section 15 of the Act — The Commission shall obtain the previous approval of the Central Government in respect of —

(a) the implementation of any scheme or proposal which will involve a capital expenditure exceeding five crores of rupees,

(b) the disposal of any property, right or privilege the original or book value of which exceeds fifty lakhs of rupees"

[No 0 11021/1/76-ONG III]

C R VAIDYANATHAN, Jt Secy

पैट्रोलियम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 1977

सा० का० नि० 659 (अ).—केन्द्रीय सरकार, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 (1959 का 43) की धारा 31द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग नियम, 1960 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (संशोधन) नियम, 1977 है ।

2. तेल और प्राकृतिक गैस आयोग नियम, 1960 (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 5 मे, "कम से कम एक मास" शब्दो के स्थान पर, "तीन मास" शब्द रखे जाएगे ।

3. उक्त नियम में, नियम 21 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"21क. किसी ऐसी योजना या प्रस्ताव को, जिसमें पूंजी व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, कार्यान्वित करने के लिए या किसी संपत्ति के व्ययन की बाबत जैसा कि अधिनियम की धारा 15 के परन्तुक के अधीन परिकल्पित हो, आयोग की शक्तियां.—आयोग निम्नलिखित मामलों की बाबत केन्द्रीय सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त करेगा :—

(क) ऐसी किसी योजना या प्रस्ताव का कार्यान्वियन, जिसमें पांच करोड रुपये से अधिक पूजी व्यय अन्तर्ग्रस्त हो ,

(ख) ऐसी किसी सम्पत्ति, अधिकार या विशेषाधिकार का व्ययन जिसका मूल मूल्य या बही खाना मूल्य पचास लाख रुपये से अधिक हो ।"

[सं० O-11021/1/76—ओ एन जी—3]

सी० आर० वैद्यनाथन, संयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977